मध्यप्रान्त और बरार सरकार
पुलिस विभाग

मध्यप्रान्त और बरार

नगरसेना कानून व नियम

1947

नागपुर
सरकारी छापाखाना मध्यप्रान्त और बरार
1947

(कीमत—दो आने)

मध्यप्रान्त और बरार का कानून नं. 15, सन् 1947 ई.

विषय सूची

भूमिका. मध्यप्रान्त और बरार का नगरसेना सम्बन्धी कानून सन् 1947 ई.

धारायें

01 संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ
02 परिभाषायें
03 नगरसैनिक की भर्ती
04 आधीनता और निरीक्षण.
05 अफसरों की नियुक्ति
06 नगरसैनिक की नियुक्ति
07 नगर सैनिकों के कर्त्तव्य और शिक्षा
08 मुक्त करना
09 वर्दी
10 नगरसैनिकों का बुलावा
11 नगरसैनिकों पर नियन्त्रण
12 नगरसैनिकों के अधिकार और संरक्षण
13 दण्ड
14 नियम
15 नगरसैनिक सरकारी कर्मचारी होगा

मध्यप्रान्त और बरार का कानून नं. 15, सन् 1947 ई.

मध्यप्रान्त और बरार का नगरसैनिको सम्बन्धी कानून, सन् 1947 ई.

नगर सैनिकों के स्थापन की व्यवस्था करने का कानून

चूंकि यह आवश्यक है कि मध्यप्रान्त और बरार में पुलिस दल की सहायता के लिये भूमिका स्वयंसेवक दल की स्थापन की जावे,

अतः इसके द्वारा निम्नलिखित कानून बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ

01 (1) यह कानून मध्यप्रान्त और बरार का नगरसैनिकों सम्बन्धी कानून,संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ सन् 1947 ई. कहलावें।

(2) यह समस्त मध्यप्रान्त और बरार पर लागू होगा।

(3) यह निम्नलिखित क्षेत्रों में अमल में आवेगा :

01 किसी माल जिले या उसके हिस्से में उस तारीख से अमल में आवेगा जिसे प्रान्तीय सरकार विज्ञप्ति द्वारा नियत करे, और

02 नागपुर, जबलपुर, अमरावती, सागर, खंडवा, बुरहानपुर, अकोला, खामगांव, रायपुर, बिलासपुर, छिन्दवाड़ा, बैतूल और गोंदिया के नगरों में तुरन्त अमल में आवेगा।

परिभाषाएँ

02 इस कानून में जब तक कि आशय या लेख विपरीत न हो :

(अ) "नगर सैनिक" से आशय वैसे व्यक्ति से है जिसे इस कानून के आधीन इस प्रकार नियुक्त किया जावे,

(ब) "नियत किए हुए" से आशय इस कानून के आधीन बनाये हुए नियमो द्वारा नियत किये हुए से है।

नगरसैनिकों को एकत्रित करना

3 (1) जिस माल जिले अथवा उसके हिस्से में यह कानून अमल में हो उसके नियत की जाने वाली शैली के अनुसार प्रान्तीय सरकार नगरसैनिकों को भरती कर सकेगी जिन्हें जान और माल की रक्षा और सार्वजनिक शान्ति के प्रति वैसे कर्त्तव्यों का पालन करना होगा जो उन्हें इस कानून और उसके आधीन बनाये हुए नियमों के आधीन सौंपे जावें।

02 कानून से अभिप्राय के लिए प्रान्त के नगरसैनिकों को एक सेना समझा जावेगा और उसके सदस्यों को नियमानुसार नियुक्त किया जावेगा और उस सेना में उतनी संख्या में अफसर और जवान होंगे जैसा कि प्रान्तीय सरकार आदेश देवें।

03 नगरसैनिक अफसरों और जवानों की शिक्षा और नौकरी की शर्तें वैसी होंगी जो नियत की जावें और उनमें उनके अल्प वेतन आनोरेरियम और भोजन और निवास से प्रबन्ध का समावेश होगा।

04 (1) धारा 3 की उपधारा (2) की पाबन्दी के साथ, नगरसैनिकों का प्रधान आधीनता और सेनानी होगा और जिस माल जिले या उसके हिस्से में यह कानून अमल में हो वैसे प्रत्येक निरीक्षण, दूसरे, वैसे अफसर होंगे जैसा कि आवश्यक हो।

02 समस्त मध्यप्रान्त, और बरार में नगरसैनिकों पर निरीक्षण करने का अधिकार प्रान्तीय सरकार का होगा और प्रान्तीय सरकार उस पर इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस द्वारा उस शैली के अनुसार और उस सीमा तक निरीक्षण करेगी जैसा कि नियत किया जावे।

03 समस्त मध्यप्रान्त और बरार में नगरसैनिकों का प्रबन्ध प्रधान सेनानी पर होगा जैसा कि प्रान्तीय सरकार निर्णय करें।

अफसरों की नियुक्ति

05 (1) प्रधान सेनानी प्रान्तीय सरकार द्वारा नियुकत किया जावेगा।

02 प्रधान सेनानी के नीचे सेनानी के पद पर किसी नगर सैनिक की नियुक्ति उस शैली के अनुसार की जावेगी जैसा कि नियत किया जावें।

06 (1) इस कानून और उसके आधीन बनाए हुए नियमों की पाबन्दी के साथ कोई भी व्यक्ति, जो नगरसैनिक के समान सेवा करने के लिएये राजी हो और वैसी नियुक्ति योग्यताओं से युक्त हो जो नियत की जावें, नगरसैनिक नियुक्त किया जा सकेगा।

02 नगरसैनिक की नियुक्ति उस शैली के अनुसार और उस अधिकारी द्वारा की जावेगी जो नियत किया जावे।

03 (अ) नगरसैनिक के प्रत्येक अफसर और जवान को उसकी नियुक्ति पर इस कानून के संलग्न नमूनी में एक सर्टिफिकेट दी जावेगी जिसपर अफसर की सूरत में प्रधान सेनानी के मुहर की छाप और जवान की सूरत में सेनानी के मुहर की छाप लगी होगी जिसके फलस्वरूप ऐसी सर्टिफिकेट के प्राप्त करने वाले को नगर सैनिक के अधिकार और विशेषधिकार प्राप्त होंगे।

(ब) यदि जिस व्यक्ति का नाम सर्टिफिकेट मे दर्ज हो वह नगरसैनिक न रह जावे तो ऐसी सर्टिफिकेट असर से जाती रहेगी और इस प्रकार नगरसैनिक न रह जाने से दस दिन के अन्दर अन्दर वी सर्टिफिकेट प्रधान सेनानी को सौंपी जावेगी यदि वह व्यक्ति अफसर हो और अन्य दूसरी सूरतों में सेनानी को सौंपी जावेगी।

नगर सैनिकों के कर्त्तव्य और शिक्षा

07 (1) इस सम्बंध में बनाए हुए नियमों की पाबन्दी के साथ प्रत्येक नगरसैनिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह किसी अधिकारयुक्त अधिकारी द्वारा उसको जारी किये गये हुक्मों का शीघ्रता से पालन करे और कार्यरूप में परिणत करे, सार्वजनिक शान्ति पर आघात करने वाले गुप्त समाचारों को इकट्ठा कर उनकी सूचना अपने अगले उंचे अफसर को देवे और जान और माल के विरूद्ध अपराधों के किए जाने की रोकथाम करे।

02 इस सम्बंध में बनाए हुए नियमों की पाबन्दी के साथ नगरसैनिक को दो माह से अधिक न होने वाली उतनी अवधि की शिक्षा लेने के लिये बाध्य होना पड़ेगा जैसा कि नियत किया जावे और उस अवधि के पश्चात् वह छः माह की अवधि के लिये नगरसैनिक के समान सेवा करेगा जो अवधि प्रान्तीय सरकार द्वारा कुल मिलाकर बारह माह से ज्यादा न होने वाली अवधि तक बढ़ाई जा सकेगी, यदि प्रान्तीय सरकार ऐसी अवधि आवश्यक समझे, और उसके बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए वह संचिति में सेवा करेगा और जब तक कि वह संचिति में हो तब तक किसी भी समय काम पर बुलाया जाने का पाबन्द होगा।

मुक्त करना

08 (1) संचिति (रेजर्व में सेवा करने की अवधि की समाप्ति पर नगरसेना के प्रत्येक अफसर और जवान को नगरसेना से मुक्तता पाने का अधिकार होगा, परन्तु कोई भी ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अधिकार प्राप्त करने के पहले उस अधिकारी द्वारा और उन शर्तों की पाबन्दी के साथ मुक्त किया जा सकेगा जैसा कि नियत किया जावे।

02 नियत किए हुए अधिकारी को उन शर्तों की पाबन्दी के साथ किसी अफसर या जवान को नगरसेना से निकालने का अधिकार है जो नियत किया जावे।

09 नगरसेना के अफसरों और जवानों को वैसी वर्दी पहननी होगी जैसा कि वर्दी नियत किया जावे।

नगरसैनिकों का बुलावा

10 जिस माल जिले या उसके हिस्से में नगरसैनिक एकत्रित किए गए हों, उसमें अधिकार रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को इस कानून और उसके आधीन बनाये हुए नियमों के आदेशों के अनुसार नगरसैनिकों को सौंपे हुए किसी कर्त्तव्य के पालन करने करने के हेतु किसी नगर सैनिक को नियत की हुई शैली के अनुसार हुक्त के जरिये बुलाने का अधिकार है

नगर सैनिकों पर नियंत्रण

11 शिक्षा प्राप्त करने के दौरान में और बुलाये जाने की सूरत में हर वक्त नगरसैनिक अपने अफसरों के नियन्त्रण में होंगे और उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, और जब उन्हें

बुलावा दिया गया हो, तो उन्हें नियत की हुई शैली के अनुसार और सीमा तक जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियन्त्रण की अतिरिक्त पाबन्दी करनी होगी।

नगरसैनिकों के अधिकार और संरक्षण

12 (1) इस कानून और उसके आधीन बनाये हुए नियमों की पाबन्दी के साथ, धारा 10 के आधीन बुलावा दिये जाने की सूरत में नगरसैनिक को वे ही अधिकार, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होंगे जैसा कि उस समय अमल में होने वाले किसी कानून के आधीन नियुक्त पुलिस अफसर को प्राप्त होते हों।

02 उस समय तक किसी नगरसैनिक के विरूद्ध नगरसैनिक के समान कार्य सम्पादन करने के विषय में उसके द्वारा किसी किये गये कार्य अथवा किये जाने का अभिप्राय रखने वाले कार के विषय में कोई फौजदारी मुकदमा दायर न हो सकेगा, जब तक कि प्रान्तीय सरकार या इस मद में प्रान्तीय सरकार द्वारा अधिकार दिए गए कोई अफसर की पूर्व अनुमति न प्राप्त कर ली जावे।

दण्ड

13 (1) जो भी नगरसैनिक कर्त्तव्य की अवज्ञा का अपराधी हो अथवा इस कानून के आदेशों को हठपूर्वक तोड़े अथवा उनके पालन में असावधानी करे, अथवा किसी अधिकारयुक्त अधिकारी के बनाये हुए किसी नियम अथवा जायज हुक्म को हठपूर्वक तोड़े अथवा पालन करने में चूक जावे, अथवा बिना आज्ञा प्राप्त किये ही अपने कर्त्तव्य को छोड़कर चला जावे अथवा जिसे धारा 7 के आधीन शिक्षा प्राप्त करने, अथवा धारा 10 के आधीन बुलाये जाने पर, बाध्य किये जाने पर उक्त आदेश को बिना पर्याप्त कारण के पालन करने में असावधानी करे अथवा अवज्ञा करे, अथवा उसे बुलाने के आदेश के पालन करने में असावधानी करे अथवा अवज्ञा करे, या जो कापुरूषता का अपराधी पाया जावे अथवा जो उसकी हिरासत में होने वाले किसी व्यक्ति के शरीर को कोई अनुचित चोट पहुंचावे, या जो धारा 6 की उपधारा 3 के खण्ड ब के आधीन अपनी सार्टिफिकेट दर दिस के अन्दर सौंपने में चूक जावे, उसे सादी कैद की सजा दी जावेगी जिसकी अवधि तीन माह तक हो सकेगी या जुर्माने की सजा दी जावेगी जिसकी तादाद अढ़ाई सौ रूपये तक हो सकेगी अथवा दोनों प्रकार की सजाएं दी जावेंगी।

02 उपधारा (1) के आधीन दण्डनीय अपराध पुलिस द्वारा हस्तक्षेप करने योग्य होगा।

14 (1) इस कानून के उद्देश्यों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए प्रान्तीय सरकार नियम बना सकेगी।

०२ विशेषतः और उक्त अधिकार में सामान्य आघात न करते हुए ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त अथवा किसी विषय की व्यवस्था की जा सकेगी, अर्थात :

(अ) ऐसे समस्त विषय जिनका इस कानून द्वारा नियत किया जाना आवश्यक है,

(ब) जो अधिकार मध्यप्रान्त और बरार में डिस्ट्रिक्ट सुप्रिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस को प्रदान हों वे अधिकार नगरसैनिकों के प्रधान सेनानी या सेनानी अथवा अन्य अफसर द्वारा बरते जावें,

(स) नगरसैनिकों के संगठन, नियुक्ति, नौकरी की शर्तें, कर्त्तव्य, अनुशासन, हथियार, अस्त्र शस्त्र आदि कपड़े और वर्दी नियत करना और वह शैली नियत करना जिसके अनुसार उन्हें सेवाएं करने के लिये बुलाया जा सके और शिक्षा प्राप्त करने के लिये बाध्य किया जा सके, और

(ड) इस कानून की धारा 12 के आधीन बर्ते जाने वाले अधिकारों में से कौन से अधिकार नगरसैनिक द्वारा बरते जावेंगे उन्हें नियत करेगा।

नगरसैनिक सरकारी कर्मचारी होगा

15 जो नगरसैनिक इस कानून के आधीन कर्त्तव्यों के पालन करने के हेतु कार्य कर रहा हो वह कानून ताजीरात हिन्द की दफा 21 के अर्थ के अन्तर्गत् सरकारी कर्मचारी समझा जावेगा (1860 ई. का 45वां.)

परिशिष्ट
सर्टिफिकेट का नमूना
(धारा 6 (3) (अ) देखिये)

नाम ———————————————-पिता का नाम ————————————

जात ——————————-साकिन ——————————————————— को मध्यप्रान्त और बरार के नगरसैनिकों सम्बंधी कानून सन् 1947 ई. (1947 ई. के 15) की धारा 6 (3) (अ) के आधीन नगरसेना का अफसर/मेम्बर नियुक्त किया गया है। ज बवह कानूनन नौकरी पर तैनात हो तो उसे वे ही अधिकार, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होंगे जैसे उस समय अमल में होने वाले किसी कानून के आधीन नियुक्त किये गये पुलिस अफसर को प्राप्त हों।

नियुक्ति की तारीख ————————194

स्थान ——————————

तारीख ——————————194 ई. प्रधान सेनानी, मध्यप्रान्त और बरार

मुहर

सेनानी ————————

पुलिस विभाग

मध्यप्रान्त और बरार नगरसेना नियम, 1947

(नोटिफिकेशन नं. 2152 2541 4, नागपुर, तारीख 9 जून सन 1947 ई.)

मध्यप्रान्त और बरार नगरसेना कानून, सन 1947 (1947 ई. का 15वां) की धारा 14 के अन्तर्गत् दिये गये अधिकारों के अनुसार प्रान्तीय सरकार निम्नलिखित नियमों का निर्माण करती है, अर्थातः—

01 **संक्षिप्त नाम** : ये नियम ''मध्यप्रान्त और बरार नगरसेना नियम 1947'' कहे जावेंगे।

02 **परिभाषायें** : इन नियमों में:

''कानून'' से मन्शा है ''मध्यप्रान्त और बरार नगरसेना कानून, 1947'', और
''स्थायी आदेशों'' से मन्शा है उन सामान्य आदेशों से जिन्हें इस रूप में प्रान्तीय सरकार की पूर्व अनुमति से प्रधान् सेनानी ने निकाला हो उन किसी विषयों पर जिनका नियंत्रण प्रधान सेनानी को ऐसे आदेशों द्वारा करने का अधिकार इन नियमों ने दिया हो।

03 **संगठन** (1) नगरसेना के पदधारियों द्वारा अन्य श्रेणियों की नामावली निम्नलिखित होगी :

(क) पदधारी

01 प्रधान सेनानी (कमाण्डेंट जनरल)
02 सेनानी (कमाण्डेंट)
03 संचालक (एडज्यूटेन्ट)
04 गणपति (कम्पनी कमाण्डर)
05 गुल्मपति (प्लेटून कमाण्डर)

(ख) अन्य श्रेणियां

06 अधिनायक
07 नायक
08 पत्ति—नायक (सेक्शन कमान्डर)
09 नगरसैनिक (होम गार्ड)

03 नगरसेना दल (होम गार्ड फोर्स) का विभाजन विभिन्न टोलियों में किया जायेगा और उनका नेतृत्व नीचे लिखे अनुसार होगा :

(क) पत्ति (सेक्शन), जिसमें एक पत्तिनायक (सेक्शन कमाण्डर) और उसके मातहत बारह सैनिक होंगे,

(ख) गुल्म (प्लेटून) जिसमें एक गुल्मपति (प्लेटून कमान्डर) और उसके मातहत तीन पत्तियां और एक सहायक नायक होंगे,

(ब) गण (कम्पनी) जिसमें एक गणपति (कम्पनी कमान्डर) और उसके मातहत तीन गुल्म और एक सहायक अधिनायक होंगे।

(घ) सेनाड्,ग (बैटेलियन) जिसमें एक सेनानी (कमान्डेन्ट) और उसके मातहत चार गण और एक सहायक संचालक (एडज्यूटेन्ट) होंगे।

04 **नगरसैनिक की योग्यतायें और भर्ती :**

01 निम्नलिखित शर्तें पूरी करने वाला कोई भी व्यक्ति नगरसैनिक बनने का अधिकारी हो सकता है :

(क) जो 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक आयु का न हो,

(ख) जिसकी उंचाई पांच फुट चार इंच से कम न हो और जिसका सीना बगैर सांस फुलाए 31 इंच से कम न हो,

(ग) जो स्थायी आदेशों द्वारा नियत की हुई साक्षरता की शर्तों को पूरी करता हो,

(घ) जिसे नैतिक पतन से सम्बंध रखने वाले किसी अभियोग में काले पानी, कैद या बेतों की सजा न हुई हो। अपील या नजरसानी में यदि वह दोषमुक्त कर दिया गया हो तो वह अपराधी न गिना जायेगा,

(ड) जो दुराचरण के कारण सरकारी या स्थानीय संस्थाओं की नौकरी से बरखास्त न किया गया हो,

(च) जो सदाचारी हो,

(छ) जो किसी विश्वविद्यालय या मध्यप्रान्त और बरार के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थाा में अध्ययन करने वाला विद्यार्थी न हो।

01 उपनियम (1) की योग्यता रखने वाले नगरसैनिक बनने के इच्छुक व्यक्ति को अपने जिले की नगरसेना के सेनानी के पास आवेदन पत्र देना होगा। यह आवेदन पत्र इन नियमों के साथ दिये गये फार्म (क) के अनुसार रहेगा और उसके साथ सदाचार के दो प्रमाण पत्र और शारीरिक योग्यता का एक प्रमाण पत्र पेश करना होगा।

17

02 जो आवेदन पत्र उपनियम (2) के अनुसार न होगा वह तत्काल खारिज कर दिया जावेगा, परन्तु सेनानी को यह अधिकार होगा कि यदि वह चाहे तो उपनियम 01 में दी हुई किसी भी योग्यता की कमी को माफ करने की सिफारिश कर सकता है।

03 जो आवेदन पत्र उपर्युक्त उपनियम 03 के अनुसार खारिज नहीं किये गये हैं वे निर्णय करने वाली कमेटी के सन्मुख पेश किये जावेंगे। यह कमेटी इन तीन व्यक्तियों की बनेगी :

01 जिला मजिस्ट्रेट
02 सेनानी और
03 प्रान्तीय सरकार द्वारा मनोनीत एक गैर सरकारी सदस्य
सेनानी इस कमेटी का मन्त्री रहेगा।

04 यह कमेटी उन आवेदन पत्र देने वालों में से प्रत्येक प्रार्थी को बुलाकर पूछताछ करेगी वा जिसे वह कमेटी चुन लेगी वह व्यक्ति नगरसेना में भरती कर लिया जावेगा। जो व्यक्ति सैनिक बनने के लिये चुना जावेगा उसे नगरसेना कानून की धारा 6 (3) (अ) के अनुसार प्रमाण पत्र दिया जायेगा और वह व्यक्ति नगरसैनिक की सभी जिम्मेदारियों का पाबन्द हो जायेगा।

05 <u>पदाधिकारियों और व्यक्तियों की नियुक्ति और मुक्ति</u> :

01 नगरसेना के निम्नलिखित पदधारी तथा अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों की नियुक्ति नीचे लिखे अधिकारियों द्वारा की जायेगी :

(क) सेनानियां (कमान्डेन्ट) की नियुक्ति प्रधान सेनानी (कमान्डेन्ट जनरल) की सिफारिस पर प्रान्तीय सरकार करेगी।

(ख) संचालकों (एडज्यूडेन्ट्स) और गण पतियों (कम्पनी कमान्डर्स) की नियुक्ति प्रान्तीय सरकार की अनुमति प्राप्त कर लेने पर प्रधान सेनानी (कमाण्डेंट जनरल) करेगा।

(ग) अधिनायक तथा गुल्मपतियों (प्लेटून कमान्डर्स) की नियुक्तियां सेनानी (कमान्डर) की सिफारिश पर प्रधान सेनानी (कमान्डेन्ट जनरल) करेगा।

(घ) सेनानी की पूर्व अनुमति से गणपति (कम्पनी कमान्डर) द्वारा नायकों की नियुक्तियां नगरसैनिकों में से ही व्यक्तियों को तरक्की देकर की जावेंगी।

02 सीनियरिटी अर्थात् पारस्परिक उच्चता या बड़प्पन का निश्चय पदों की श्रेणियों के आधार पर रखा जायेगा। पर समान श्रेणी वाले व्यक्तियों के बीच पारस्परिक उच्चता का निर्धारण पदों पर होने वाली तरक्की या नियुक्ति की तारीख से माना जायेगा।

03 संचित (रिजर्व) सेना में नौकरी की अवधि पूरी हो जाने पर नगरसैनिक (होम गार्ड) को मुक्त कर दिया जायेगा तथा वह सैनिक और सेनानी (कमान्डेन्ट) की मर्जी पर अन्य

श्रेणियों के व्यक्ति का, प्रधान सेनानी (कमान्डेन्ट जनरल) की सिफारिश पर प्रान्तीय सरकार की अनुमति से पदधारी निम्नलिखित किसी भी कारण से मुक्त किया जा सकेगा :

01 शारीरिक अयोग्यता

02 41 वर्ष की आयु पूरी होने पर

03 उसकी प्रार्थना पर किसी अन्य कारणों से

04 सेना से मुक्त किये गये हर व्यक्ति को अधिकारी द्वारा इन नियमों के साथ नमूना ''ख'' के अनुसार एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

06 <u>वर्दी</u> : नगरसैनिकों को नीचे लिखी वर्दी काम पर (ड्यूटी पर) पहिनना पड़ेगी :

01 खाकी कमीज
02 खाकी हाफ पेंट
03 ढीला जेबदार पैजामा
04 मोजे का उपरी खोल (होज टाप्स
05 पट्टियां
06 किश्ती टोपी या सिक्खों के लिये साफा
07 काले जूते
08 लोह टोप
09 काले जूते
10 बड़े मोजे
11 सफेद जूते (जब वह कवायद न कर रहा हो)
12 खाकी कमर पट्टा
13 बकसुए
14 स्कंध-भूषण और शीश चिन्ह जो प्रधान सेनानी मंजूर करे

02 नगरसेना के पदधारियों तथा अन्य श्रेणी वालों को निम्नांकित चिन्ह धारण करना पड़ेगा :

(क) कन्धे पर

01 प्रधान सेनानी (कमान्डेन्ट जनरल) दो तलवारें कैंचियां और तीन तारे
02 सेनानी (कमान्डेन्ट) दो तलवार कैंचियां और एक तारा
03 संचालक (एडज्यूटेन्ट) तीन तारे
04 गणपति (कम्पनी कमान्डर) दो तारे
05 गुल्मपति (प्लेटून कमान्डर) एक तारा

(ख) बाहु पर

01 अधिनायक दो 'शेव्हरान' एक तारे के साथ
02 नायक दो **शेव्हरान** बिना तारे के
03 पत्ति नायक एक **शेव्हरान**

07 शिक्षण : (1) पदधारियों को छोड़कर प्रत्येक नगरसैनिक को भरती होने के बाद अधिक से अधिक दो माह तक निम्नलिखित विषयों की शिक्षा लेने पड़ेगी :

क कवायद
ख हथियारबन्द कवायद
ग हथियार शिक्षा
घ नक्शे की जांच
ङ युद्ध कौशल
च चांदमारी की शिक्षा जो फौजी अफसरों और जवानों को दी जाती है
छ नगरसैनिकों के कानूनी अधिकार
ज इन नियमों के नियम 10 में बताये गये कर्त्तव्य

02 उपर्युक्त शिक्षण का पाठ्यक्रम एक कमेटी द्वारा निर्धारित किया जायेगा जिसमें ये तीन सदस्य रहेंगे :

01 प्रधान सेनानी (कमान्डेन्ट जनरल)
02 पुलिस विभाग के डेप्युटी इन्पेक्टर जनरल तथा
03 प्रान्तीय सरकार द्वारा मनोनीत गैर सरकारी सदस्य

03 उपर्युक्त शिक्षण के कार्यकाल में प्रत्येक नगरसैनिक को भोजन और रहने की सुविधायें मुफ्त दी जायेंगी। उसे निर्धारित स्थायी आदेशों के अनुसार मान वेतन भी मिलेगा तथा उन आदेशों के नियमों में बताये ढंग से उसें अपना रहन सहन व आचरण व अन्य व्यवहार करना होगा।

04 प्रत्येक नगरसैनिक के लिए, जो कि संचित सेना में दर्ज किया गया हो, यह आवश्यक होगा कि प्रति वर्ष अधिक से अधिक दो सप्ताह के लिए वार्षिक शिक्षण शिविर में रहकर शिक्षण क्रम में भाग लेवे, तथा जितने काल तक वह इस शिविर में भाग लेगा उतने काल तक के लिये उसे उसी प्रकार सारी सुविधायें पाने का अधिकार होगा व अनुशासन से बद्ध रहना होगा जिस प्रकार से कि प्रारंभिक शिक्षण के समय में था।

08 पाठ्यक्रम (1) नियम 3 के उपनियम (1) में बताये गये नं. (1) और नं. (2) के पदधारियों को छोड़कर हर नगरसैनिक को नगरसैनिक की हैसियत से कानून की धारा 7 की उपधारा (2) के अनुसार काम करते रहने की अवधि तक प्रति सप्ताह 4 घंटे के हिसाब से काम (ड्यूटी) पर हाजिर रहना पड़ेगा और इस ड्यूटी के दरम्यान वैसी कवायदें करनी पड़ेंगी, वैसी शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी और पुलिस के वे सभी काम करना होंगे जिसके करने के लिए उसे आदेश दिये जायेंगे।

02 हर नगर सैनिक जब तक वह उपर्युक्त ड्यूटी पर रहेगा तब तक स्थायी आदेशों में बताए हुए अनुशासन का पालन करेगा।

09 ड्यूटी पर बुलाना : (1) कानून की धारा 10 के अन्दर नमूना 'ग' में, जो इसके साथ नत्थी है, हुक्म निकाल कर जिलाधीश नगरसैनिक को उसके कर्त्तव्यक्षेत्र में काम करने

के लिए आह्वान करेगा तथा **कानून** की धारा 11 के अनुसार मजिस्ट्रेट नगरसैनिक को समय समय पर आवश्यकता के अनुसार आदेश देता रहेगा।

02 यथा निर्धारित् नियमों के अनुसार जो मानवेतृनः निश्चित रहेगा उसे पाने का अधिकारी वह सैनिक उतने काल तक रहेगा जब तक उससे काम लिया जाये।

03 यदि नगरसैनिकों का आव्हान किसी स्थान विशेष में कार्य करने के लिए किया गया तो और जिला मजिस्ट्रेट की राय हो कि वहां उस दल को पुलिस दल के साथ शामिल होकर संयुक्त दल के रूप में कार्य करना आवश्यक है तो जिला मजिस्ट्रेट तदनुसार आदेश देकर इस संयुक्त दल को जिले के पुलिस कप्तान के नेतृत्व के अन्दर रहने और कार्य करने का आदेश देगा।

10 **कर्त्तव्य** : नियम 9 के उपनियम (1) के अनुसार बुलाए गए सैनिकों को जिलाधीश की सामान्य या विशेष आज्ञाओं पर निम्नलिखित समस्त या कोई भी काम (ड्यूटी) करना पड़ेगा :

01 जुर्मों की रोक थाम करना
02 जान माल की रक्षा करना
03 सूचनायें प्राप्त करना और बडे अधिकारियों के पास भेजना
04 आमदरफ्त पर नियंत्रण
05 दंगों का दबाना (बदअमनीका दबाना)
06 झूठी अफवाहों के फैलाव की रिपोर्ट करना और उनको रोकना
07 मेलों और बडी सभाओं को काबू में रखना व नियंत्रण करना
08 दंगों या तोडफोड की हरकतों से अगने वाली आग के बुझाने में आग बुझाने वाले स्थायी सेवादलों की मदद करना
09 प्राथमिक उपचार करना तथा अपने संरक्षण में लेकर घायलों को अस्पताल भेजने में मदद पहुंचाना
10 विनाशकारी हलचलों का मुकाबला करना
11 पुलिस को उनके कानूनी काम करने में साधारणतः मदद देना

11 **सेना के विरूद्ध अपराध** : कोई भी नगरसैनिक जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, या **कानून** की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत् काम कर रहा हो, या वार्षिक शिविर में हो, या नियम 9 के उपनियम (1) के अन्तर्गत् काम पर बुलाया गया हो वह अगर निम्नलिखित कामों में से कोई काम करेगा तो उसने इस सेना (फोर्स) के खिलाफ जुर्म किया ऐसा माना जायेगा :

01 कवायद के समय या निर्धारित् काम (ड्यूटी) करते समय या नगर सैनिक की वर्दी पहने हुए वह:

क अपने से बड़े अधिकारी को मारे या उस पर बल प्रयोग करे या बल प्रयोग पर आमादा हो या उसके खिलाफ धमकी और गुस्ताखी से भरी जवान बोले या उसके साथ घृणासूचक बर्ताव करे।

ख स्थायी आदेशों का या अपने से उंचे पदधारी की कानूनी आज्ञा का उल्लंघन करे।

ग प्रधानसेनानी या अपने विभाग के सेनानी की सामान्य आज्ञाओं के पालन करने में असावधानी करे

घ नशे की हालत में पाया जावे

ङ नगरसेना का पदधारी होते हुए भी अपने से निम्न पद वाले ऐसे व्यक्ति को जो इस कानून की शरायत का पाबन्द हो, मारे या उसके साथ दुर्व्यवहार करे।

02 वह बिना समुचित कारण के निर्दिष्ट समय पर कवायद में उपस्थित न रहे अथवा नगरसैनिक की हैसियत से किसी स्थान में उसकी उपस्थिति आवश्यक होने पर भी अनुपस्थित रहे अथवा बिना किसी उपर्युक्त कारण के कवायद की श्रेणी को छोड़कर भाग जावे।

03 नियमानुसार निर्दिष्ट शिक्षण के जिन अंगों का पालन तथा कार्यों की पूर्ति उसके लिए आवश्यक है उनकी, बिना समुचित कारण के, यदि वह अवहेलना करे।

04 यदि कोई सैनिक, जो किसी ऐसे व्यक्ति की हिरासत में रख दिया गया हो, जो इस नियम का पाबन्द हो अथवा नहीं या जो उसका उच्च पदाधिकारी हो अथवा न हो, और उस पर आघात करे या बलप्रयोग या उसका प्रदर्शन करे तो नियमानुसार वह अपराधी करार दिया जा सकेगा।

05 जो अपने को गिरफ्तार या हिरासत में रखने वाले संरक्षक का मुकाबिला करे।

06 जो अपनी गिरफ्तारी, नजरबन्दी या अन्य प्रकार की हिरासत से भाग निकले या निकल भागने का यत्न करे।

07 प्रान्तीय सरकार या नगरसेना की कोई जायजाद यदि उसके संरक्षण में रखी गई हो और वह उसे गायब करे अथवा गायब करने में उसका कोई हाथ होवे।

08 उपर्युक्त फिकरा नं. 7 में बताई हुई जायजाद को जान बूझ कर नुकसान पहुंचावे अथवा दण्डनीय असावधानी के कारण उसे वह खो दे या उसे नुकसान पहुंचावे।

09 उसके आधिपत्य या संरक्षण में यदि कोई व्यक्ति अथवा कोई सम्पत्ति, हथियार, गोले बारूद, कपड़े, सामान के जखीरे या अन्य प्रकार की सामग्री आदि रखी गई हो और उन सब की संख्या या अवस्था के सम्बंध में यदि वह जानबूझ कर गलत नकशे या विवरण पेश करे।

10 खण्ड (9) में बताई गई चीजों में से किसी एक के सम्बंध में भी किसी आयोजन विशेष के द्वारा या दण्डनीय असावधानी के कारण उसका सही नकशा पेश करने में जो सैनिक गफलत करे जिस नकशे को भेजना या पेश करना उसका आवश्यक कर्त्तव्य है।

11 जिस किसी विषय विशेष के सम्बंध में यथार्थ वक्तव्य देना उसके कर्त्तव्य का आवश्यक अंग हो और उसके ही बारे में यदि वह ऐसा बयान करे जिसे वह स्वयं जानता है कि वह झूठ है अथवा जिस पर उसका ऐसा विश्वास है कि वह सच नहीं है।

12 इन नियमों के मानने वाले व्यक्ति विशेष के विरूद्ध जानबूझ कर ऐसे आरोप लगावे जिसे वह स्वयं असत्, मानता हो अथवा उसकी सत्यता में विश्वास न करता हो।

13 कवायद अथवा किसी अन्य अवसर पर किसी व्यक्ति विशेष की अनुपस्थिति में जहां कि उसकी उपस्थिते अथवा कियाशीलता नियमतः अनिवार्य है ऐसे व्यक्ति के स्थान में अपने आपको यथार्थतः वह व्यक्ति बताना या उसके रिक्त स्थान की स्वयं पूर्ण करना या किसी अन्य को उसके स्थान में बताना या उसमें सहायक होना।

12 **सजायें** : (1) नियम 11 में बतलाये गये किसी भी अपराध के दोषी पाये जाने वाले नगरसैनिक को, उस मामले में फौजदारी मुकदमा के चलाने में बगैर कोई रूकावट डाले, नीचे लिखी सजायेंदी जा सकेंगी :

01 घुडकना (डांटना)
02 ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते के लिये बैरक में बन्द करके रखना
03 टधिक कवायदः कराना और अधिक श्रमजनित थकावट
04 मुअत्तिल (सस्पेंड)
05 नीचे पद में उतार देना (तनुंज्जली)
06 बरखास्तगी।

02 अधिकारी को छोड़कर कोई भी नगरसैनिक जिस पर सेना के खिलाफ जुर्म करने का अपराध लगा हो वह सैनिक अपने विभाग के गणपति के सामने पेश किया जायेगा। दग गणपति सरसरी जांच के बाद अपराधी पाये जाने पर उसे डांट सकेगा या यदि मुलजिम शिक्षा पा रहा हो या वार्षिक शिविर में संचित (रिजर्व) होते हुए आया हो तो उसे उपर्युक्त उपनियम (1) की शाखा (3) में दी हुई सजा दे सकता है।

03 यदि सरसरी जांच के बाद गणपति की यह राय हो कि जुर्म के लिये और भी कड़ी सजा देने की आवश्यकता है तो वह अपराधी को मुअत्तिल कर सकता है और सेनानी के समक्ष शीघ्रातिशीघ्र पेश करने के लिये आदेश निकाल सकता है।

04 इसके बाद सेनानी उस अभियुक्त के खिलाफ लगाये गये आरोपों की तालिका की एक प्रति उसे देने की व्यवस्था कर देगा और उसे माकूल अवसर देगा ताकि वह उन आरोपों को या तो झूठ सिद्ध करे अथवा अपने दोष को कमजोर करने वाले कारण पेश कर सके।

05 अगर सेनानी की यह राय हो कि उपर दी हुई सजायें न्याय की दृष्टि से किसी खास मामले में अनुशासन के हित में पर्याप्त नहीं हैं तो वह ऐसी सजा के अलावा कानून की दफा 13 के अन्तर्गत अपराधी के खिलाफ फौजदारी मामला चलाने की भी सिफारिश कर सकता है।

06 यदि अपराध करने का आरोप किसी अधिकारी के विरूद्ध लगाया जाये तो सेनानी अथवा प्रधान सेनानी में से जो भी उपयुक्त हों, उस अभियुक्त अधिकारी की जांच के लिए उसे अपने सन्मुख बुलाए। वह जांच कुनिन्दा उस अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये अभियोगों की तालिका की एक प्रति अभियुक्त को देकर उसे समुचित अवसर देवेगा ताकि वह उन अभियोगों को या तो असत्य सिद्ध करे अथवा कोई उपयुक्त कारण बतावे जिससे अभियोग हलके माने जा सकें शिक्षा शिविर में भाग लेने वाले अभियुक्त को ये तीन ही सजाएं, यथा डांट डपट, बैरक में बन्द किया जाना अथवा मुअत्तली दी जा सकेंगी। किन्तु यदि उक्त सेनानी अथवा प्रधान सेनानी की यह सम्मति हो कि तत्सम्बंध में अभियुक्त को अधिक कड़ा दण्ड देना आवश्यक है तो उसके सब कागजात यथावश्यक सिफारिश के साथ प्रान्तीय सरकार के समक्ष उपस्थित किये जावेंगे। प्रान्तीय सरकार उचित जांच करने के बाद उपधारा (1) में दी हुई चाहे तो कोई भी सजा का अथवा अधिकारी के विरूद्ध फौजदारी का मामला पेश करने का आदेश दे सकती है।

13 **अपील** : (1) अधिकारी को छोड़कर यदि किसी सैनिक के सम्बंध में मुअत्तल, पदच्युत, या बरकखास्त कर देने का निर्णय दिया गया है तो उसे, और उस अधिकारी को भी जिसके विरूद्ध प्रान्तीय सरकार के अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी ने उसे मुअत्तल कर देने का निर्देश दे दिया है तो ऐसे दोनों निर्णयों के विरूद्ध फैसले की तारीख से 30 दिन के भीतर अपीलें पेश की जा सकती हैं। ये अपीलें स्थायी आदेशों में निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार तथा सजा देने वाले व्यक्ति से तात्कालिक उच्चस्थ अधिकारी के समक्ष ही पेश की जा सकेंगी। अपील सुनने वाले अधिकारी या अपील पर दिया हुआ निर्णय अंतिम माना जावेगा। ऐसी अपीलों के निर्णयों के विरूद्ध कोई भी नजरसानी (रिवीजन) अथवा पुनर्विचार (रिव्हयू) की अर्जियां किसी भी अधिकारी के समक्ष पेश नहीं की जा सकेंगी।

02 जिस अधिकारी के विरूद्ध पदच्युत या मुअत्तल या बरखास्त किये जाने का आदेश दिया गया है वह अधिकारी प्रान्तीय सरकार के समक्ष उक्त निर्णय के विरूद्ध पुनर्विचार (रिव्हयू) करने की अर्जी पेश कर सकता है। इस अर्जी पर दिया हुआ निर्णय अंतिम माना जावेगा।

14 **मिसल** :इन नियमों के साथ जो फार्म **घ** है उसके अनुसार अधिकारियों या अन्य श्रेणियों के लोगों की नौकरियों की पूरी मिसल बनायी जावेगी।

14 **स्थायी आदेश** : प्रधान सेनानी (कमान्डेन्ट जनरल) प्रान्तीय सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर और पुलिस के इन्स्पेक्टर जनरल की सम्मति से सामान्यतः इन नियमों के समस्त उद्देश्यों को कार्यरूप में परिणत करने में और विशेषतः नीचे लिखी हुई बातों की व्यवस्था के लिए स्थायी आदेश जारी कर सकता है :

क इन नियमों के अन्तर्गत् दिये हुए स्थायी आदेशों से सम्बंधित समस्त विषय

ख नगरसेना की समस्त श्रेणियों के लिये कपड़े और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिये माप निर्धारित करने के लिए

ग अपील सुनने वाले अधिकारियों के समक्ष पेश करने के और उस पर कार्यवाई करने के तरीके के लिये,

घ मिसल तैयार करने के तरीके और प्रधान सेनानी और उसके अधीनस्थ अधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार रखने के मार्ग निश्चित् करने के लिये

15 **नियन्त्रण** : कानून की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार मध्यप्रान्त और बरार की समस्त नगरसेना के नियन्त्रण करने का अधिकार प्रान्तीय सरकार को होगा। वह इस अधिकार का प्रयोग इन्स्पेक्टर जनरल, पुलिस के द्वारा नीचे लिखे तरीके पर करेगी :

क इन्स्पेक्टर जनरल, पुलिस समय समय पर नगरसेना की जांच करेगा। वह अपनी जांच की रिपोर्ट प्रान्तीय सरकार को देगा।

ख प्रधान सेनानी (कमान्डेंट जनरल) समस्त स्थायी आदेशों को इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस की सहाल से निकालेगा।

ग दूसरे अन्य तरीकों से जो प्रान्तीय सरकार सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा तय करेगी।

नमूना क

(नियम 4 (2) देखिये)

नगरसेना में भरती होने की अर्ज़ी का नमूना

(सूचना– नाम हाथ छपे होने चाहिये)

भर्ती होने के पहले ये सवाल पूछे जावें	जबाब
01 आपका नाम क्या है	
02 आपके पिता का नाम और पता क्या है	
03 क्या आप भारतीय प्रजा हैं	
04 आपका गांव, थाना, तहसील, तालुका और जिला कौनसा है	
05 आपका डाक घर कौनसा है	
06 आपका रेल्वे स्टेशन कौनसा है	
07 इस वक्त आपका व्यापार, पेशा या धंधा क्या है	
08 आपका धर्म, वर्ग और जाति क्या है	
09 आप कहाँ नौकर हैं	
10 आप कितने लिखे पढ़े हैं	
11 आपकी उम्र क्या है	
12 क्या आपको किसी फौजदारी अदालत ने कभी सजा दी है। अगर हाँ, तो किन सूरतों में, और सजा क्या थी	
13 वर्तमान काल में क्या आप अंग्रेज सरकार की रिजर्व फौज में, या देशी रियासतों की किसी फौज में अथवा नेपाल रियासत की पल्टन व किसी पुलिस दल की मुलाजिमत में हैं	
14 क्या आपने कभी भी अंग्रेज सरकार (हिज मैजेस्टीज फोर्स) की फौज, या रिजर्व या भारत रक्षा पल्टन, या देशी रियासतों की फौज अथवा नेपाल रियासत की पल्टन में ही नौकरी की है। और यदि की है तो किसमें, कितने समय तक तथा उससे रिहा किये जाने का कारण क्या है	
15 क्या आप मध्यप्रान्त और बरार के नगरसैनिक कानून, सन् 1947 के अनुसार नगरसैनिक दल में भर्ती होना चाहते हैं	
16 क्या आप उक्त कानून द्वारा नियत किये गये शिक्षण प्राप्त करने के लिये और उसके अनुसार सेवा कार्य करने के लिये तैयार हैं। और क्या आप इसके लिये तैयार हैं कि अपने जातीय रिवाज के बन्धनों को अपने कर्त्तव्य पालन के मार्ग में बाधक न होने दें - सूचना–जातीय रिवाजों की अबाधकता का निर्वाह ठीक उसी रीति से किया जायेगा जैसा कि आम स्थायी पल्टनों में किया जाता है।	
17 क्या आप उक्त कानून के अनुसार मुक्त (डिस्चार्ज) न होने तक सेवायें करने के लिये तैयार हैं	
18 क्या आपने उक्त कानून के अनुसार भर्ती होने के लिये इससे पहले कभी अर्जी दी थी। अगर हां तो उसका नतीजा क्या हुआ	
19 क्या आपको ऑर्म्ड फोस या पुलिस से बरखास्त किया गया है	
20 क्या आप माता का टीका लगवाने या फिर से लगवाने के लिए तैयार हैं	

__________________–अर्जदार के दस्तखत

__________________–के सामने दस्तखत किया

__________________–सेनानी (कमाण्डेंट)

सूचना– इस लकीर के ऊपर दी हुई महों की खानापूरी नियम 4 के अनुसार भर्ती के लिये अर्जी देते समय की जावे

नमूना ख
(नियम 5 (4) देखिये)
नगर सेना से मुक्त होने का (डिस्चार्ज) सर्टिफिकेट

इसके जरिये यह तसदीक किया जाता है कि नं.——————पद——————
नाम——————————को तारीख——————————को में भर्ती किया गया था और उसे तारीख——————को मुक्त किया गया। उसे मध्यप्रान्त और बरार के नगरसैनिक कानून, सन 1947 ई. के आधीन बनाये गये नियमों के नियम 5 (3) के अनुसार——————————————————
के आदेश से——————————————————फलस्वरूप मुक्त किया जाता है।

चाल चलन——————————————————

कब कब ट्रेनिंग (शिक्षण) में हाजिर रहा——————————

सम्मिलित नौकरी की तफसीलें, अगर कोई हों——————————

पिता का नाम——————————गांव——————————

डाकखाना——————तहसील——————जिला——————

पता——————————————————
तसदीक किया के नहीं——————————————

मुकाम——————————————तारीख——————————

——————————
प्रधान सेनानी (कमान्डेन्ट जनरल)

नमूना ग
(नियम 9 (1) देखिये)

एक ऐसी आकस्मिक परिस्थिति के उपस्थित हो जाने के कारण, स्थान————————————का में———————————— जिला मजिस्ट्रेट मध्यप्रान्त और बरार नगरसेना कानून, सन् 1947, की धारा 10 के आधीन जो अधिकार मुझे प्रदान किये गये हैं उनके अनुसार, आज इस आदेश पत्र के द्वारा, जिला/तहसील/तालुके ———————————— सीमा के नगरसैनिकों का मैं आवश्यक कर्त्तव्य पालन के लिये आवाहन करता हूं।

तारीख———————— ————19 ई.

————————————

जिला मजिस्ट्रेट

मुहर

नमूना घ
(नियम 14 देखिये)
सेवा का रिकॉर्ड

नं.————————————————————————————

नाम————————————————————————————

जन्म की तारीख——————————————————————

घर का पता————————————————————————

भर्ती की तारीख——————————————————————

मौजूदा पता———————————————————————

कालेज——————————————————————————

पिता का नाम——————————————————————

सी.ओ.नं.————————————————————————

जाति——————————————————————————

ट्रेनिंग (शिक्षण) का वर्णन

साल		चांदमारी	कवायदें		शिविर (कैम्प)		कैफियत
			कुल कितनी हुई	कुल कितनी में हाजिर रहा	कितने दिन रहा	कितने दिन हाजिर रहा	
सन 19	ई.						
सन 19	ई.						
सन 19	ई.						
सन 19	ई.						
सन 19	ई.						
सन 19	ई.						
सन 19	ई.						

मौजूदा या पिछली नगरसेना में तरक्की

पद	तारीख	अधिकारी	सेनानी (कमान्डेंट) के दस्तखत

किस किस्म का प्रशिक्षण दिया गया

पद	तारीख	अधिकारी	सेनानी (कमान्डेंट) के दस्तखत

मुक्त होने (डिस्चार्ज) का सर्टिफिकेट